राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांकः– एफ.8(33)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/ जयपुर, दिनांक

<u>प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 180/2025–26</u>

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरूत्थान हेतु जिला कलक्टर, **बालोतरा** को निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1. <u>आंगनबाड़ी भवनों हेतुः–</u>

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त **आंगनबाड़ी भवनों** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु जिला कलक्टर, **बालोतरा** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 732 दिनांक 07.09.2025 के आधार पर बाल विकास परियोजना जिला बालोतरा तह. सिवाना/समदड़ी के 14 कार्यो हेतु राशि रूपयें 28.00 लाख **कुल 14 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपये 28.00 लाख (अक्षरे रूपये अट्ठाईस लाख मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

2. <u>चिकित्सा भवनों हेतुः–</u>

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त **चिकित्सा भवनों** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु जिला कलक्टर, **बालोतरा** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 732 दिनांक 07.09.2025 के आधार पर स्वास्थ्य केन्द्र जिला बालोतरा तह. व ब्लॉक समदड़ी के 02 कार्यो हेतु राशि रूपयें 4.00 लाख **कुल 02 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपये 4.00 लाख (अक्षरे रूपये चार लाख मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

कुल 14 आंगनबाड़ी भवनों हेतु राशि रूपयें 28.00 लाख एवं कुल 02 चिकित्सा भवनों हेतु राशि रूपयें 4.00 लाख कुल 16 कार्यो हेतु राशि रूपयें 32.00 लाख (अक्षरे रूपये बतीस लाख मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

1. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों के Restoration पर न करें।
2. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
3. जिला कलेक्टर विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए बजट की मांग एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरान्त ऑनलाईन विभाग से करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.10.28 12:11:39 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18490718

eSign 1.0

4. बजट सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5. वे कार्य जो Defect LiabilityPeriod के तहत आती है, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।

6. जिला कलेक्टर बजट की ऑन लाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवें कि बजट की मांग SDRF नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair &Periodical Repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के Restoration हेतु विभाग द्वारा जारी क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जाये।

7. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

8. जिन विद्यालयों को अनुपयोगी/जर्जर चिन्हित किया गया है, ऐसे विद्यालय यदि प्रस्तावों में है तो उनके लिए स्वीकृत राशि का व्यय नहीं किया जावे।

9. जिला कलेक्टर स्वीकृत कार्यो को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

10. जिला कलेक्टर उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।

11. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाये जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

12. इस विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।
इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगाः–
2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
02– बाढ़, चक्रवात आदि।
107– खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
(02)–(बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत)
[01]–[बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत]
21–अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेस) (केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत)
(राज्य निधि 25 प्रतिशता)

13. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पाकालीन निविदाए आमन्त्रित कर कार्य कराऐ जा सकेगे।

14. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजनाके दिशा–निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।

15. उक्त राशि का व्यय एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत राजकीय भवनों के लिये ही किया जावे।

16. विभाग द्वारा स्वीकृत की गई राशि का उपयोग जिन भवनों का उपयोग किया जा रहा है, उन भवनों की मरम्मत हेतु ही किया जावे।

17. निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.10.28 12:11:39 IST
Reason: Approved

18. निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावें। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2026 तक राजकोष में जमा करवाई जावें।

19. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखें जावे।

(शैफाली कुशवाहा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय—5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, **बालोतरा** को प्रेषित कर लेख है कि **एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार आवश्यक बजट की गणना कर बजट की मांग विभाग से ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में करें तथा आपके द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक रूप से ऑनलाईन मांग के साथ अपलोड करावें।**

   समग्र शिक्षा विभाग, जिला—बालोतरा, तह./ब्लॉक समदड़ी के विद्यालय भवन मरम्मत के प्रस्तावों में दर्शाई गई क्षति की दिनांक एवं वर्षा को सिंचाई विभाग से प्राप्त आंकडों से मिलान किया गया है उक्त वर्षा सही पाई गई है, किन्तु वर्षा की मूल तिथियों में कटौती किये गये आंकड़ों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नही करवाया गया है। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया है।

   स्वास्थ्य केन्द्र, जिला बालोतरा तह./ब्लॉक समदड़ी के चिकित्सा भवन मरम्मत के प्रस्तावों में अंकित कार्यों के क्र.सं. 03 एवं 04 में चिकित्सक/नर्सिंग आवास हेतु राशि 4.00 लाख की मांग की गयी है, जो नॉर्म्स अनुसार देय नहीं है। उक्त कार्यो को कम करते हुए प्रस्ताव के शेष कार्य स्वीकृत किये गये है।
7. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को बजट का आवंटन किये जाने हेतु।
8. कोष कार्यालय, बालोतरा।

शासन उप सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.10.28 12:11:39 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), बालोतरा

क्रमांकः सहायता/बाढ/2025/959 दिनांक e-signed date

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ के कारण क्षतिग्रस्त विद्यालय/चिकित्सा/आंगंनबाडी भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु उपखण्ड अधिकारी सिवाना के पत्रांक 635 दिनांक 05.09.2025 द्वारा उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुशंषा सहित प्राप्त प्रस्ताव पर संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ–8(33) आ.प्र. एवं सहा./बाढ/प्रस्ताव/2025/राजकाज पत्रांक 18490718 जयपुर दिनांक 28.10.2025 के क्रम में बाल विकास परियोजना अधिकारी, सिवाना–समदड़ी तहसील समदड़ी के 14 कार्य हेतु राशि रूपये 28.00 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

कार्यकारी एजेन्सी :– सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड बालोतरा

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पति का प्रकार	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का नाम	एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार दर राशि	एसडीआरएफ मद से मरम्मत योग्य राशि लाखो में
1	समदड़ी	आंगनवाड़ी भवन	**नटों का वास समदडी**	2.00	2.00
2	समदड़ी	आंगनवाड़ी भवन	**राईका गोलिया समदडी**	2.00	2.00
3	समदड़ी	आंगनवाड़ी भवन	**रामपुरा 01**	2.00	2.00
4	समदड़ी	आंगनवाड़ी भवन	**गोदो का बाड़ा, रामपुरा**	2.00	2.00
5	समदड़ी	आंगनवाड़ी भवन	**फूलण**	2.00	2.00
6	समदड़ी	आंगनवाड़ी भवन	**मौखण्डी, रानीदेशीपुरा**	2.00	2.00
7	समदड़ी	आंगनवाड़ी भवन	**लादुनगर,जेठन्तरी**	2.00	2.00
8	समदड़ी	आंगनवाड़ी भवन	**जेठन्तरी 01**	2.00	2.00
9	समदड़ी	आंगनवाड़ी भवन	**जेठन्तरी हॉल्ट**	2.00	2.00
10	समदड़ी	आंगनवाड़ी भवन	**लालाणा**	2.00	2.00
11	समदड़ी	आंगनवाड़ी भवन	**करमावास 02**	2.00	2.00
12	समदड़ी	आंगनवाड़ी भवन	**खण्डप 01**	2.00	2.00
13	समदड़ी	आंगनवाड़ी भवन	**भीलो की ढाणी 01 (पाबुपुरा),सिलोर**	2.00	2.00
14	समदड़ी	आंगनवाड़ी भवन	**भलरो का बाडा 01**	2.00	2.00

कार्य कराने में निम्न शर्तो की पालना की जावे :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.11.01 16:38:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18569954

eSign 1.0

1. उक्त कार्यो को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशंषा की है।

2. कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तिया PWD & AR के अनुसार मान्य होगी।

3. विभााग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों की मरम्मत पर न करें।

4. उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावें।

5. ये सम्पतिया जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।

6. कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।

7. कराये गये कार्यो का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित ऐजेन्सी को अपने विभागीय मद से करना होगा।

8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।

9. कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवे एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत एवं पुर्नरूद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 8981275 दिनांक 16.07.2024 द्वारा गणना की जायें।

10. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

11. जिन विद्यालयों को अनुपयोगी/जर्जर चिन्हित किया गया है, ऐसे विद्यालय यदि प्रस्तावों में है तो उनके लिए स्वीकृत राशि का व्यय नहीं किया जावे।

12. स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्यो को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।

13. क्षतिग्रस्त कार्यो को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।

14. उक्त स्वीकृति के विरूद्ध क्षतिग्रस्त सम्पति के केवल रिपेयर एवं रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे।

15. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है। तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.11.01 16:38:37 IST
Reason: Approved

16. राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं S.D.R.F. के नोर्म्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।

17. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

18. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाऐं आमंत्रित कर कार्य कराऐं जा सकेंगें।

इस राशिा का व्यय वित्तीय वर्षा 2025–26 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगा :–

2245– प्राकृतिक विपति के कारण राहत
02– बाढ़ चक्रवात आदि।
107– खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्म्त तथा पुनः स्थापना
(02)– (बाढ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्म्त)
(01)– (बाढ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्म्त)
21– अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स)(पी)

सुशील कुमार
जिला कलक्टर,
बालोतरा

क्रमांकः सहायता / बाढ / 2025 / 960–968

दिनांक e-signed date

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर ।
2. सम्भागीय आयुक्त महोदय जोधपुर सम्भाग जोधपुर।
3. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला बालोतरा
4. उपखण्ड अधिकारी सिवाना
5. अधीक्षण अभियंता सा.नि.वि बालोतरा।
6. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग बालोतरा।
7. अधीशाषी अभियंता सा.नि.वि खण्ड बालोतरा।
8. बाल विकास परियोजना अधिकारी,सिवाना–समदड़ी।
9. रक्षित प्रति

जिला कलक्टर,
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.11.01 16:38:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18569954
eSign 1.0

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड बालोतरा

कमांक :– 3289 दिनांक :– 06/11/2025

श्रीमान् जिला कलक्टर

(आपदा प्रबंधक सहायता एवं नागरिक सुरक्षा)

बालोतरा।

विषय :– मानसून वर्ष 2025–26 के अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त आंगनवाडी भवनों की तत्कालिक अस्थाई मरम्म्त एवं पुनरस्थापना के तकनिकी स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बालोतरा जिले में मानसून वर्ष 2025–26 में तहसील समदड़ी में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त आंगनवाड़ी भवनो के तत्कालिक मरम्मत के प्रस्ताव संबंधित विभाग द्वारा आपको प्रसतुत किये गये थे। जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति आपके कार्यालय के आदेश कमांक सहायता/बाढ/2025/959 दिनांक 01.11.2025 को जारी की गई है। मरम्मत हेतु आंगनवाड़ी भवनों की तकीनीकी स्वीकृति जारी कर वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव सादर प्रस्तुत है।

क्र. सं.	तहसील का नाम	क्षतिग्रस्त सम्पति का प्रकार	क्षतिग्रस्त सम्पति का नाम	एस.डी.आर.एफ. मापदण्डों के अनुसार दर राशि	तकनीकी स्वीकृति कमांक व दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि	विशेष विवरण
1	समदड़ी	आंगनवाड़ी भवन	नटो का बास समदड़ी	2.00	273 / 06.11.2025	2.00	
2	समदड़ी	आंगनवाड़ी भवन	राईका गोलिया समदड़ी	2.00	274 / 06.11.2025	2.00	
3	समदड़ी	आंगनवाड़ी भवन	रामपुरा 01	2.00	275 / 06.11.2025	2.00	
4	समदड़ी	आंगनवाड़ी भवन	गोदो का बाड़ा रामपुरा	2.00	276 / 06.11.2025	2.00	

कार्यालय जिला कलक्टर बालोतरा आवक कमांक 15564 दि. 13/11/25

5	समदड़ी	आंगनवाड़ी भवन	फूलण	2.00	277 / 06.11.2025	2.00	
6	समदड़ी	आंगनवाड़ी भवन	मौखण्डी, रानीदेशीपुरा	2.00	278 / 06.11.2025	2.00	
7	समदड़ी	आंगनवाड़ी भवन	लादूनगर जेठन्तरी	2.00	279 / 06.11.2025	2.00	
8	समदड़ी	आंगनवाड़ी भवन	जेठन्तरी 01	2.00	280 / 06.11.2025	2.00	
9	समदड़ी	आंगनवाड़ी भवन	जेठन्तरी हॉल्ट	2.00	281 / 06.11.2025	2.00	
10	समदड़ी	आंगनवाड़ी भवन	लालाणा	2.00	282 / 06.11.2025	2.00	
11	समदड़ी	आंगनवाड़ी भवन	करमावास 02	2.00	283 / 06.11.2025	2.00	
12	समदड़ी	आंगनवाड़ी भवन	खण्डप 01	2.00	284 / 06.11.2025	2.00	
13	समदड़ी	आंगनवाड़ी भवन	भीलो की ढ़ाणी 01 (पाबूपुरा) सिलोर	2.00	285 / 06.11.2025	2.00	
14	समदड़ी	आंगनवाड़ी भवन	भलरो का बाड़ा 01	2.00	286 / 06.11.2025	2.00	
		Tota		**28.00**		**28.00**	

(दीपक सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड बालोतरा